



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



**मुख्यालय/HEADQUARTERS**  
पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N.D.- 02  
Phone: 011-23215489, VOIP: 10011074  
Email: [med6-hq@esic.nic.in](mailto:med6-hq@esic.nic.in)  
Website: [www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in) / [www.esic.in](http://www.esic.in)

फाइल संख्या: A-42013/9/2025-MED-VI (1448600)

दिनांक: .06.2026

## वर्ष 2026 का कार्यालय आदेश संख्या- 68

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी की सेवाएँ 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत जारी रखने के आदेश दिये हैं:

The Competent Authority has approved the continuation of service of the following Medical Officer beyond 62 years:

क्रम संख्या	चिकित्सा अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	आदेशित पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिर्वृति की नियत निर्धारित तिथि	सेवाकाल जारी रखने
1.	Dr. Thamaraiselvan A N, (Emp ID - 112865), Specialist (SAG), Psychiatry	ESIC Hospital, Asramam	ESIC Hospital, Asramam	05.06.1964	05.06.2026	Till further orders or upto 30.06.2029, whichever is earlier.

उक्त चिकित्सा अधिकारी की तैनाती अगले आदेश तक आदेशित पदस्थापन स्थान पर ही रहेगी। परंतु, वह आवश्यकतानुसार भारत में कहीं भी पदस्थ किए जाने के पात्र होंगे।

The above Medical officer will be posted at the ordered place of posting till further orders. However, he/she is liable to be posted anywhere in India as per functional requirement.

2. उपर्युक्त चिकित्सा अधिकारी की सेवा, 62 वर्ष की आयु के पश्चात 65 वर्ष तक, क्लिनिकल/रोगी देखभाल (Patient Care) सहित शिक्षण गतिविधियों और शिक्षण से संबन्धित प्रशिक्षण गतिविधियों पर जारी रखने की स्वीकृत की गई है। उपर्युक्त चिकित्सा अधिकारी को कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा, यहाँ तक कि अतिरिक्त प्रभार भी नहीं दिया जाएगा।

2. Continuation of service of above Medical Officer beyond the age of 62 years, up to 65 years has been approved for Teaching activity including clinical/ patient care/training attached to teaching activities. The above Medical Officer will not be assigned any administrative work not even as additional charge.

सहायक निदेशक  
( चिकित्सा प्रशासन)

सेवा में ,

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी उनके नियंत्रण के माध्यम से। Concerned Medical Officer through his controlling officer.
2. सभी संबंधित बीमा आयुक्त/ चिकित्सा आयुक्त/क. रा. बी. निगम मुख्यालय। All concerned Insurance Commissioner / Medical Commissioner/ESIC Hqrs.
3. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त / आंचलिक चिकित्सा आयुक्त/ क.रा.बी.निगम। All Zonal Insurance Commissioner/Zonal Medical Commissioner/ ESIC.
4. सभी क्षेत्रीय निदेशक/उप-निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय। All Regional Director, Regional Office/Deputy Director In-charge, Sub Regional Office.
5. संबंधित क. रा. वि. नि. अस्पताल / क. रा. बि. नि. मेडिकल कॉलेज के डीन / चिकित्सा अधीक्षक, उप-चिकित्सा अधीक्षक/ डीडीएफ। Concerned ESIC hospitals/Dean of ESIC Medical College/Medical Superintendent, Deputy Medical Superintendent/ DDF.
6. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली / निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा। Directorate (Medical) Delhi/Directorate (Medical) Noida.
7. चिकित्सा शाखा-4/ चिकित्सा (शिक्षा) शाखा, ए. रा. बीएससी निगमित मुख्यालय। चिकित्सा शाखा-IV/चिकित्सा (शिक्षा) शाखा ईएसआईसी मुख्यालय। Medical branch-IV/Medical (Education) branch ESIC Hqrs.
8. वेबसाइट कंटेंट मैनेजर, को अपलोड करने हेतु Website content manager ESIC Hqrs, to upload on ESIC Hqrs, website.
9. गार्ड फाइल | Guard File.